18/11/22 | आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वास्ते तलबी प्रतिवादीगण, वकील वादी ने समय चाहा जबकि पूर्व में भी कई बार अवसर, न्यायहित में अन्तिम अवसर, अदम अनुपालना की हिदायत दिये जाने के उपरान्त भी वकील वादी ने प्रतिवादीगण की तलबी बाबत रजिस्टर्ड ए.डी. के सम्मन/तलबाने पेश नहीं किये है। अतः अनुसार वकील वादी ने दिनांक 16/09/2016 में जारी तलबी बाबत आदेश की पालना 60 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने

अन्तर्गत........

पत्रावली........

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व हुक्म
	पर भी नहीं की है। जिससे तर्मीम मुद्दी। वादी पक्ष न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है एवं न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया है। अतः वादी के वाद को अदम अनुपालना तलबी बाबत आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जमा जिला लेख भण्डार हो। सुनाया गया।	

18/11/22 आज यह प्रा० पत्र पत्रावली मूल दावा पत्रावली के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। चूँकि आज प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली अदम अनुपालना आदेश 9 नियम 5 में खारिज हो चुकी। ऐसी स्थिति में इस प्रा० पत्र पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः यह प्रा० पत्र पत्रावली भी अदम अनुपालना आदेश 9 नियम 5 में खारिज की जाकर प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पूर्व में दिनांक 16/09/2016 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील संलग्न मूल दावा पत्रावली रहे। सुनाया गया।